प्रकरण संख्या 13/2017 चेतन व अन्य बनाम कोमा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 125, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त के खाता संख्या 71 की आराजी नंबर 334, 340, 342, 344 से 349, 362, 388, 402, 404, 405, 407 से 410, 418, 422, 1421 से 1423 कुल किता 23 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम भतार, तहसील गढ़ी में स्थित है, जो वादीगण के वास्तविक आधिपत्य की होकर राज्य सरकार को लगान अदा करता है। संवत् 2030 में बस्तोबस्त विभाग द्वारा 5 खातों में उपरोक्त सर्वे नम्बरान का विभाजन कर दिया, जिसका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उपरोक्त विभाजन बन्दोबस्त द्वारा वादीगण की अनुपस्थिति में तथा उन्हें बिना सूचना दिये किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इसके पश्चात् सन् 1982 में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित खाते के खेत व वाद पत्र की कलम संख्या 2 में 5 खातें में विभक्त खाते में पुनः परिवर्तन कर 4 खातों में विभक्त कर दिया, जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। प्रारम्भ में उक्त खाते में सोमा व गुलालिया मूल खातेदार थे। संवत् 2030 में उक्त खाते में परिवर्तन कर जो 5 खाते बनाये गये तथा पुनः सन् 1982 में उक्त खातों को 4 खातों में विभक्त कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः वादीगण को वाद वर्णित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि मूल पुरूष चमना के चार पुत्र गलालिया, धीरिया, सोमा व कोमा हुए, जिसका विवादित आराजियात में विरासतन समान हक हिस्सा बनता है। उपरोक्त आराजियात का 45 वर्ष पूर्व बंटवारा होकर चारों भाईयों के नाम खाते में दर्ज हो चुकी है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम की तथा दिनांक 06.06.2016 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील दिनांक 17.02.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:08 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने पर उनकी ओर से अभिभाषक श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को राजस्व कैम्प की सूचना नहीं दी गयी। दिनांक 24.01.2017 को न्यायालय जाकर पता करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का अवलोकन किये तथा अपीलान्ट/वादीगण को सुने बिना निर्णय पारित किया है। अपीलान्टगण के पिता सोमा जी को सेटलमेन्टी खाता में सर्वे नंबर 885 रकबा 1 बीघा जो खाता संख्या 126 में इन्द्राज किया गया है बाकी समस्त 12 खेत उनके निजी खाते के थे। आराजी नंबर 885 का समान्तर नंबर 2993 बना तथा नये सेटलमेन्ट में जो नये नंबर कायम हुए, जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 2 में है, वादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम प्रविष्ट कर दिये गये तथा सेटलमेन्ट सन् 1982 में 5 खाते के बजाय 4 खाते कर दिया गये, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर कैम्प भतार में अपीलान्ट/वादीगण को बिना सुने निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि रेस्पोन्डेन्टगण की कब्जा [illegible] सेटलमेन्ट संवत् 2030 से चला आ रहा है तथा [illegible] चारों भाईयों को पृथक–पृथक दे दी गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:08 IST
Reason: SelfAttested

पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2006 में विवादित आराजी नंबर 334, 340, 342, 344 से 349, 362, 388, 402, 404, 405, 407 से 410, 418, 422, 1421 से 1423 कुल किता 23 रकबा 24 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलान्ट/वादीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा गिरदावरियों की स्लिप व सिंचाई विभाग की रसीदों से विवादित आराजियात पर कब्जा अपीलान्ट/वादीगण का संवत् 2014 से होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में सेटलमेन्ट के दौरान संवत् 2030 में जो 5 खातों में विभाजन किया गया है, वह त्रुटि पूर्ण है एवं बाद में सन् 1982 में 4 खातों में पुनः जो विभाजन किया गया है, वह भी बिना किसी आधार के होने से त्रुटि पूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का विवेचन करते हुए उक्त तनकी आंशिक रूप से अपीलान्ट/वादीगण के हक में निर्णित की है, किन्तु पक्षकारान सगे भाई होने के आधार पर प्रतिवादीगण का भी हक अधिकार मानते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। समग्रता हम यह पाते हैं कि जब संवत् 2006 में अपीलान्ट/वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज था, तो संवत् 2030 में 5 खातों भूमि किस प्रकार विभक्त की गयी तथा बाद में सन् 1982 में 5 के स्थान पर 4 खातों में किस प्रकार विभक्त की गयी, यह परीक्षण का विषय है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2012 निर्णय एवं डिक्री 06.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए कायम शुदा तनकियात पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर साक्ष्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
[illegible] अधिकारी
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
[illegible]पुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:14:08 IST
Reason: SelfAttested